न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्या: 13 / 2021

प्रार्थीगण

(1) मनोहरसिंह पुत्र खेतदानजी, जाति–चारण, निवासी–वलदरा, तह. व जिला– सिरोही
(2) मंगलसिंह पुत्र धर्मदानजी, जाति–चारण, निवासी–वलदरा, तह. व जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) ग्राम पंचायत, सरतरा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, सरतरा तह. व जिला सिरोही
(2) ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, सरतरा, तहसील जिला सिरोही
(3) भीखाराम पुत्र केसाजी, जाति–भील, निवासी–वलदरा तहसील व जिला सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

(1) अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, प्रार्थीगण की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री भंवर सिंह देवड़ा, अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 18 मार्च, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी **भीखाराम पुत्र केसाजी, जाति– भील, निवासी–** वलदरा के पक्ष में रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का जारी पट्टा संख्या **12 दिनांक 19.3.2018** को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, सरतरा से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि तलब की गई। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) की ओर से अधिवक्ता श्री भंवर सिंह देवडा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री धनाराम देवासी उपस्थित हुये, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत नही करने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरी ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम वलदरा, पटवार हल्का सरतरा, तहसील सिरोही में आई हुई है जिसके खसरा संख्या 910 रकबा 0–7400 हेक्टेयर है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि पूर्व में शांतिलाल पुत्र पुनमाजी, जाति–कुम्हार, निवासी–वलदरा के नाम से दर्ज थी एवं इस कृषि भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये शांतिलाल पुत्र पुनमाजी, जाति–कुम्हार, निवासी–वलदरा से प्रार्थीगण ने खरीद की है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नही है। ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का अधिकार है, लेकिन ग्राम पंचायत, सरतरा के सरपंच व सचिव द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) को नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, सरतरा के सरपंच व सचिव द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 से मेलमिलाप कर कुटरचित तरीके से अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी कृषि

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

भूमि में पट्टा जारी किया है। ऐसी स्थिति में, ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जो पट्टा विलेख जारी किया है वह कानूनन अवैध व शून्य है, जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 3 को कोई हक अधिकार पैदा नहीं होते है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व भूमि के संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच नही की गई है एवं पंचायत के स्वामित्व की भूमि नहीं होते हुए भी व यह जानते हुए कि उक्त भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि है में अप्रार्थी संख्या 3 को अवैध व नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया है। यह कि प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व वाद सहायक कलेक्टर न्यायालय, सिरोही में अप्राथी संख्या 3 के विरूद्ध खातेदारी भूमि में अवैध कब्जा करके अतिक्रमण करने से अवैध कब्जे को हटाने हेतु प्रस्तुत किया है, जिसके राजस्व वाद संख्या 724/2019 है। उक्त राजस्व वाद में स्वयं अप्रार्थी संख्या 3 व अन्य ने जवाब पेश किया है एवं उक्त जवाब के पैरा संख्या 2 में पट्टाधारियों ने यह स्पष्ट कथन किया है कि उक्त भूमि शांतिलाल पुत्र पुनमाजी के नाम दर्ज थी लेकिन उसका कब्जा काश्त नहीं रहा है। इससे यह तथ्य स्पष्ट रुप से साबित होता है कि उक्त भूमि कृषि भूमि है जो ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नही है एवं ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के हक में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में पट्टा जारी किया है। यह कि यदि पूर्व खातेदार शांतिलाल काबिज काश्त नहीं था और अप्रार्थी संख्या 3 ने अवैध अतिक्रमण किया था तो अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा खातेदार के विरुद्ध अपने हक में सक्षम न्यायालय में वाद पेश कर सकते थे, लेकिन अप्रार्थी संख्या 3 ने ग्राम पंचायत, सरतरा के सरपंच व सचिव ने मेल मिलाप कर अपने हक में पट्टा जारी करवाया है। राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत ग्राम पंचायत को केवल ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने का अधिकार है। ग्राम पंचायत को किसी व्यक्ति की खातेदारी कृषि भूमि में पट्टे जारी करने का कानूनन कोई अधिकार नही है उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 03.6.2009 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के विद्वान अधिवक्ता श्री देवड़ा ने बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा खसरा संख्या 910 रकबा 0.7400 हेक्टेयर की भूमि में अप्रार्थी संख्या 3 को पट्टा जारी नही किया है, बल्कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि आबादी भूमि है एवं मौके पर घनी आबादी बसी हुई है जो ग्राम वलदरा मे आबादी के बिचो बिच स्थित है तथा भील बस्ती के नाम से जानी जाती है। जिसमे अप्रार्थी संख्या 03 व अन्य लोगो के पुश्तैनी मकान व आवासीय पट्टेशुदा भूखण्ड़ आए हुए है व इन भूखण्ड़ों के चारो तरफ पुरानी चार दिवारी निर्मित की हुई है। जिसमे अप्रार्थी संख्या 03 व अन्य लोग अपने पूर्वजो के समय से करीब 100 वर्ष से अधिक समय से निवास करते आ रहे है। उक्त भूमि गांव की आबादी के बिचो बिच है व मुख्य सडक से मात्र 200 फीट की दुरी पर स्थित है तथा सहकारी समिति का मिनी बैंक उक्त बस्ती से मात्र 50 फीट की दुरी पर स्थित है। उक्त बस्ती मे अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के अलावा गांव के अन्य कई व्यक्तियों के मकान बने हुये है एवं पट्टेशुदा आवासीय भूखण्ड़ व पुराने पुश्तैनी कब्जेशुदा भूखण्ड़ स्थित है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 3 के अलावा अन्य व्यक्तियों गीतादेवी पत्नि रामलालजी घांची, कानाराम पुत्र दीपाजी मेघवाल, ताराराम पुत्र दीपाजी मेघवाल, वीनाराम पुत्र दीपाजी मेघवाल, फुसाराम पुत्र मनाजी मेघवाल, सोनाराम पुत्र वनाजी मेघवाल, रमेश पुत्र कानाजी मेघवाल, भीखाराम पुत्र केसाजी भील, वजाराम पुत्र केसाजी भील, लाखाराम पुत्र उकाजी भील, मंछाराम पुत्र पुनमाजी भील, भानाराम पुत्र पुनमाजी भील, रतनाराम पुत्र पुनमाजी भील व सोनाराम पुत्र पुनमाजी भील के पक्के मकान बने हुए है, जो उक्त

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला ... सिरोही

व्यक्तियों ने लाखो रूपये खर्च कर पक्के मकान निर्मित कराए है तथा श्री भीखाराम पुत्र केसाजी भील, वजाराम पुत्र केसाजी भील, लाखाराम पुत्र उकाजी भील, मंछाराम पुत्र केसाजी घांची, लालाराम पुत्र चमनाजी घांची, सवाराम पुत्र सवाजी घांची व बाबुलाल पुत्र बुनाजी मेघवाल के आवासीय कब्जे शुदा व पट्टाशुदा भूखण्ड़ है जिनके चारो तरफ चार दिवारी निकाली हुई है। इसी बस्ती मे बने सभी मकानों पर विद्युत कनेक्शन भी लिए हुए है व विद्युत विभाग द्वारा पुरानी विद्युत लाईन खीची हुई है तथा 8–10 विद्युत पोल लगे हुए है व जलदाय विभाग द्वारा बस्ती वालों के लिए दो सार्वजनिक हैण्डपम्प भी खोदे हुए है। ग्राम पंचायत द्वारा 25 साल पूर्व सरकारी सभा भवन का भी निर्माण कराया हुआ है व सी.सी. रोड भी पंचायत द्वारा समय समय पर बनाई गये है। अप्रार्थी संख्या 03 व अन्य लोगो के राशनकार्ड, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज भी इसी निवास के पते पर बने हुए है। श्रीमती गीतादेवी पत्नि रामलालजी घांची ने इसी बस्ती में अपने पट्टासुदा मकान के निर्माण के लिए एस.बी.आई. बैंक कालन्द्री से ऋण भी लिया हुआ है। ग्राम पंचायत सरतरा द्वारा पट्टा संख्या 72 दिनांक 20.04.1979 को श्री पुना, काना पि० भानाजी घांची के हक में जारी किया गया है। पट्टा संख्या 117 दिनॉक 04.11.1957 को श्री भील पुनमा वल्द चौपा के नाम पर जारी किया गया है। पट्टा संख्या 11 दिनांक 20.10.2016 को श्रीमती गीतादेवी पत्नि रामलाल घांची के नाम पर जारी किया गया है, पट्टा संख्या 10 दिनांक 9.06.1968 को रावता पुत्र दरजा भील के नाम पर जारी किया गया है। पट्टा मिसल सं.04 दिनॉक 01.08.2016 को श्रीमती सुबटीदेवी मेघवाल के नाम पर जारी किया गया है। पट्टा संख्या 19 दिनॉक 24.09.2012 को सोनाराम पुत्र मनाराम मेघवाल के नाम पर जारी किया गया है। उपरोक्त दस्तावेज से यह प्रमाणित है कि उपरोक्त बस्ती पुरानी है जिस पर अप्रार्थी संख्या 03 व अन्य बस्ती वालों का कब्जा स्वामित्व है। व उसका उपयोग उपभोग अपार्थी संख्या 03 व अन्य बस्ती वाले व उनके पूर्वज कदीम से आबादी के रूप में करते रहे है तथा इसी भूमि में करीब 100 वर्षों से भी अधिक समय से निवास करते आ रहे है। उक्त तथ्यो की जानकारी प्रार्थीगण को भी स्पष्ट रूप से है क्योकि प्रार्थीगण इसी ग्राम वलदरा के निवासी है तथा वो भी अपने पूर्वजो के समय से ग्राम वलदरा मे ही निवास करते आ रहे है व इसी गांव में पले बड़े है। प्रार्थीगण उक्त भूमि को अपनी खातेदारी की होना बता कर उसकी आड में जबरन ताकत के बल पर कब्जा करना चाहते है। जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण या उसके पूर्व खातेदार का कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है, जिससे कब्जे के अभाव में यह निगरानी आवेदन खारिज योग्य है। ग्राम वलदरा मे खसरा संख्या 910 की भूमि श्री शांतीलाल पुत्र पुनमाजी, जाति–कुम्हार, निवासी वलदरा के नाम से खातेदारी मे दर्ज थी जो भूमि अन्य भूमि है तथा उसका उक्त प्रश्नगत पट्टे की आबादी भूमि से कोई लेना देना नही है। अप्रार्थी संख्या 03 की पट्टाशुदा भूमि के मौके पर शांतीलाल पुत्र पुनमाजी का कभी भी कब्जा काश्त नही था व न ही रहा है, क्योकि उक्त भूमि पर आबादी बस्ती करीब 100 वर्ष से अधिक समय से आबाद थी। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को पूर्व से थी, क्योकि प्रार्थीगण भूमि तश्कर है जो भूमि के खरीद फरोख्त का धंधा करते है तथा आबादी भूमि व राजस्व भूमि की जानकारी रखते है। प्रार्थीगण को यह भी जानकारी प्रारम्भ से थी कि उक्त भुमि पर श्री शांतीलाल पुत्र पुनमाजी कुम्हार का कोई कब्जा काश्त नही है तथा उसका नाम रेकर्ड मे खातेदार दर्ज है जिससे प्रार्थीगण ने बेईमानीपुर्ण आशय से श्री शांतीलाल पुत्र पुनमाजी कुम्हार को पैसो का लालच देकर बहला फुसला कर प्रार्थी मनोहरसिंह ने उक्त शांतीलाल कुम्हार के मार्फत उक्त विवादग्रस्त भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 11 जून, 2018 को उप पंजीयक कार्यालय, कालन्द्री मे पंजीयन करवाया व राजस्व कर्मचारीयो व अधिकारीयो के साथ मेल मिलाप कर गलत रिपोर्ट करवा कर उसका नामान्तरकरण अपने हक मे दर्ज करवा दिया। बाद मे प्रार्थी मनोहरसिंह ने उक्त भूमि में प्रार्थी

....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

मंगलसिंह को अपना भागीदार बनाया व 1/2 हिस्से का विक्रय विलेख दिनांक 13.8.2018 को प्रार्थी मनोहरसिंह ने प्रार्थी मंगलसिंह के हक में उप पंजीयक कार्यालय, कालन्द्री में पंजीयन कराया है। उपरोक्त दोनो दस्तावेज का केवल पंजीयन ही हुआ है, जबकि मौके पर कब्जे का आदान प्रदान नही हुआ है। प्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित विकय विलेख दिनांक 11 जून, 2018 के पेरा संख्या 07 में उपरोक्त भूमि गांव की आबादी से करीब 3 कि.मी.दुर व सडक से 2 कि.मी. दुर स्थित होना बताया है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 व अन्य लोगो को जो पट्टे जारी किए है वहां पर कई लोगों का कब्जा व मकान बने हुए है और वह भूमि गांव की आबादी के बिचो बिच लगती हुई है व सडक से मात्र 200 फीट की दुरी पर स्थित है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने जो भूमि खरीद की है वह अप्रार्थी संख्या 03 के उक्त पट्टे वाली भूमि नही होकर कोई अन्य भुमि है तथा गांव की आबादी से 3 कि.मी. की दुरी पर स्थित है। प्रार्थीगण ने राजस्व वाद गलत भूमि के संबंध में कब्जे के अभाव में प्रस्तुत किया है व उसकी आड मे जबरन कब्जा लेना चाहते है। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 03 के हक में नियमानुसार आबादी भूमि मे ही पट्टा जारी किया है, जिसमें ग्राम पंचायत ने कोई अनियमिता नहीं की है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन खारिज़ किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 20.01.2017 के संकल्प संख्या 02 के अनुसरण में अप्रार्थी भीखाराम पुत्र केसाजी भील, निवासी– वलदरा के पक्ष में क्षेत्रफल 1080 वर्गफीट भूखण्ड़ का रियायती दर पर आवंटन का पट्टा संख्या 12 दिनांक 19.3.2018 को जारी किया गया है, जो उक्त सकंल्प संख्या 02 दिनांक 20.01.2017 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अर्न्तगत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अर्न्तगत इस नियम में वर्णित श्रेणी की व्यक्तियों को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में रियायती दर भूखण्ड़ का प्रावधान है।

इस संबंध में प्रार्थी निगरानीकर्ता का मुख्यतः कथन यह है कि "प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम वलदरा, पटवार हल्का सरतरा, तहसील सिरोही में आई हुई है जिसके खसरा संख्या 910 रकबा 0–7400 हेक्टेयर है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि पूर्व में शांतिलाल पुत्र पुनमाजी, जाति–कुम्हार, निवासी–वलदरा के नाम से दर्ज थी एवं इस कृषि भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये शांतिलाल पुत्र पुनमाजी, जाति–कुम्हार, निवासी–वलदरा से प्रार्थीगण ने खरीद की है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नही है। ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का अधिकार है, लेकिन ग्राम पंचायत, सरतरा के सरपंच व सचिव द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) को नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है।" जबकि अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) का यह कथन है कि " ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा खसरा संख्या 910 रकबा 0.7400 हेक्टेयर की भूमि में अप्रार्थी संख्या 3 को पट्टा जारी नही किया है, बल्कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि आबादी भूमि है एवं मौके पर घनी आबादी बसी हुई है जो ग्राम वलदरा मे आबादी के बिचो बिच स्थित है तथा भील बस्ती के नाम से जानी जाती है। जिसमे अप्रार्थी संख्या 03 व अन्य लोगो के पुश्तैनी मकान व आवासीय पट्टेशुदा भूखण्ड़ आए हुए है व इन भूखण्ड़ों के चारों तरफ पुरानी चार दिवारी निर्मित की हुई है। जिसमे अप्रार्थी संख्या 03 व अन्य लोग अपने पूर्वजो के समय से करीब 100 वर्ष से अधिक समय से निवास करते आ रहे है। उक्त भूमि गांव की आबादी के बिचो बिच है व मुख्य सडक से मात्र 200 फीट की दुरी पर स्थित है तथा सहकारी समिति का मिनी बैंक उक्त बस्ती से मात्र 50 फीट की दुरी पर स्थित है। उक्त बस्ती मे अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के अलावा गांव के अन्य कई व्यक्तियों के

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

मकान बने हुये है एवं पट्टेशुदा आवासीय भूखण्ड़ व पुराने पुश्तैनी कब्जेशुदा भूखण्ड़ स्थित है।'' अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) का यह भी कथन है कि ''उक्त भूमि पर प्रार्थीगण या उसके पूर्व खातेदार का कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है, जिससे कब्जे के अभाव में यह निगरानी आवेदन खारिज योग्य है। ग्राम वलदरा मे खसरा संख्या 910 की भूमि श्री शांतीलाल पुत्र पुनमाजी, जाति–कुम्हार, निवासी वलदरा के नाम से खातेदारी मे दर्ज थी जो भूमि अन्य भूमि है तथा उसका उक्त प्रश्नगत पट्टे की आबादी भूमि से कोई लेना देना नही है।''

इस प्रकार, प्रकरण में दोनों पक्षों के कथनों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2070–2073 वास्तविक संवत 2070 में ग्राम वलदरा, पटवार हल्का सरतरा के खसरा संख्या 910 रकबा 0–7400 हेक्टेयर भूमि श्री शांतिलाल पुत्र पूनमा जी, जाति– कुम्हार, निवासी– वलदरा के नाम दर्ज थी, जो प्रार्थी मनोहरसिंह द्वारा श्री शांतिलाल पुत्र पूनमा जी कुम्हार से पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा क्रय किये जाने के बाद प्रार्थी मनोहर सिंह के नाम दर्ज हुई। तत्पश्चात् प्रार्थी मनोहरसिंह द्वारा इसमें 1/2 हिस्से का प्रार्थी मंगलसिंह के पक्ष में विक्रय विलेख पंजीयन करवाया है।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) की ओर से ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है, जिससे यह साबित हो कि ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि नही होकर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि हो। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से व दोनों पक्षों के कथनों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, वह भूमि ग्राम पंचायत, सरतरा की आबादी भूमि नही होकर खातेदारी की भूमि है। जबकि, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियमों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने का अधिकार है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थीगण, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा पंचायत संकल्प संख्या 02 दिनांक 20.01.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी भीखाराम पुत्र केसाजी भील, निवासी– वलदरा के पक्ष में क्षेत्रफल 1080 वर्गफीट भूखण्ड़ आवंटन का रियायती दर पर जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 19.3.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, सरतरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि के मौके एवं रेकर्ड की जांच करके विधि सम्मत कार्यवाही करे। इसी मुताबिक पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18 मार्च, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही